न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, सिरोही
(पीठासीन अधिकारीः डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर.ए.एस.)

(1) पंचायत निगरानी संख्याः 22/2021

प्रार्थी

मुकेश कुमार पुत्र ताराचंद जी अग्रवाल, जाति–अग्रवाल, निवासी– रेवदर, तहसील– रेवदर, जिला– सिरोही

बनाम

अप्रार्थीगण

(1) मनुदेवी पत्नी चुन्नीलालजी, जाति–घांची, निवासी–रेवदर, तह. रेवदर,जिला–सिरोही
(2) ग्राम पंचायत, रेवदर जरिये सरपंच, ग्राम पंचायत, रेवदर, तह. रेवदर, जिला–सिरोही

(2) पंचायत निगरानी संख्याः 41/2021

प्रार्थी

विकास अधिकारी, पंचायत समिति, रेवदर, जिला– सिरोही

बनाम

अप्रार्थीगण

(1) सरपंच, ग्राम पंचायत, रेवदर, जिला– सिरोही
(2) मनुदेवी पत्नी चुन्नीलालजी, जाति–घांची, निवासी–रेवदर, तह. रेवदर,जिला–सिरोही

"निगरानी आवेदन अर्न्तगत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994"

उपस्थितिः

1. अधिवक्ता श्री भैरुपाल सिंह बालावत, प्रार्थी मुकेश कुमार की ओर से (पंचायत निगरानी संख्याः 22/2021 में प्रार्थी मुकेश कुमार की ओर से)
2. श्री नटवर लाल, सहायक विकास अधिकारी, कलेक्टर कार्यालय, सिरोही (पंचायत निगरानीः41/2021 में प्रार्थी विकास अधिकारी,पं.स. रेवदर की ओर से)
3. अधिवक्ता श्री मुन्नवर हुसैन, अप्रार्थी मनुदेवी की ओर से (उक्त दोनों पंचायत निगरानी प्रकरणों में अप्रार्थी मनुदेवी पत्नी चुन्नीलालजी घांची की ओर से)

–: निर्णय :– **दिनांक 27 अक्टूबर, 2023**

(1) संक्षिप्त में दोनों प्रकरणों के तथ्य इस प्रकार है। प्रार्थी मुकेश कुमार पुत्र ताराचंद जी अग्रवाल, निवासी– रेवदर एवं प्रार्थी विकास अधिकारी, पंचायत समिति, रेवदर की ओर से उक्त दोनों अलग अलग निगरानी आवेदन ग्राम पंचायत, रेवदर द्वारा अप्रार्थी मनुदेवी पत्नी चुन्नीलाल जी, जाति–घांची, निवासी– रेवदर के पक्ष में निःशुल्क भूखण्ड का जारी पट्टा संख्या 173 दिनांक 27.3.1997 को निरस्त कराने हेतु अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रस्तुत किये गये है।

(2) उक्त दोनों निगरानी आवेदनों को अलग अलग दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये गये। निगरानी आवेदन की सुनवाई के दौरान अप्रार्थी ग्राम पंचायत, रेवदर की ओर से अधिवक्ता श्री नरपत सिंह देवड़ा (पंचायत निगरानी संख्याः 22/2021 में) उपस्थित हुये तथा उक्त दोनों पंचायत निगरानी प्रकरणों में अप्रार्थी मनुदेवी पत्नी चुन्नीलाल जी, जाति– घांची, निवासी– रेवदर की ओर से अधिवक्ता श्री मुन्नवर हुसैन उपस्थित हुये। उक्त पंचायत निगरानी संख्याः 41/2021 में अप्रार्थी मनुदेवी पत्नी चुन्नीलाल, जाति– घांची, निवासी– रेवदर की ओर से उनके अधिवक्ता श्री मुन्नवर हुसैन द्वारा लिखित जवाब मय दस्तावेजों के प्रस्तुत किया। इन दोनों प्रकरणों में अप्रार्थी ग्राम पंचायत, रेवदर की ओर से जवाब प्रस्तुत नहीं हुआ।

पेज दो पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2024.01.30 17:09:56 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

अतिरिक्त जिला कलक्टर * सिरोही *
सत्यमेव जयते

(3) उक्त दोनों पंचायत निगरानी आवेदन ग्राम पंचायत, रेवदर द्वारा अप्रार्थी मनुदेवी पत्नी चुन्नीलाल जी, जाति– घांची, निवासी– रेवदर को जारी पट्टा संख्या 173 दिनांक 27.3.1997 को निरस्त कराने हेतु अलग अलग प्रस्तुत किये गये है एवं इन दोनों निगरानी आवेदनों की विषय वस्तु व चाहा गया अनुतोष एक समान होने से पंचायत निगरानी संख्याः 41/2021 की पत्रावली को पंचायत निगरानी संख्या 22/2021 के साथ संलग्न किये जाने के आदेश दिये गये। उक्त दोनों प्रकरणों में संयुक्त रुप से बहस सुनी गई एवं इन दोनों पंचायत निगरानी आवेदनों को एक ही निर्णय के द्वारा गुणावगुण पर निस्तारण किया जा रहा है।

(4) बहस के दौरान प्रार्थी मुकेश कुमार के विद्वान अधिवक्ता श्री भैरुपाल सिंह बालावत ने प्रार्थी मुकेश कुमार के निगरानी आवेदन में अंकित कथनों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि अप्रार्थी मनुदेवी के पति चुन्नीलाल पुत्र कानाजी राजकीय कर्मचारी था और वह वर्तमान में सेवानिवृत है। अप्रार्थी मनुदेवी का पति चुन्नीलाल जोधपुर विधुत वितरण निगम लिमिटेड रेवदर के कार्यालय में दिनांक 01.04.1984 से 31.12.2012 तक स्थाई कर्मचारी के रूप में सेवारत रहा है और वह दिनांक 31.12.2012 को अधिवार्षिक आयु पूर्ण करने से सेवानिवृत हुआ है एवं वर्तमान में उसे 19,330/– रूपये विद्युत विभाग से पेंशन के रूप में प्राप्त हो रहे है। यह कि ग्राम पंचायत, रेवदर द्वारा अप्रार्थी मनुदेवी के नाम से पट्टा संख्या 173 दिनांक 27.3.1997 को जारी किया गया है, जो निःशुल्क आवासीय भूखण्ड़ आवंटन का है तथा उक्त पट्टा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कारीगरों, लघु व सीमान्त कृषकों को आबादी भूमियों में से निःशुल्क आवासीय आवंटन भूखण्ड के प्रपत्र में जारी किया है और अप्रार्थी मनुदेवी को नसबंदी करवाने की एवज में निःशुल्क जारी किया जाना बताते हुए जारी किया है, जबकि अप्रार्थी मनुदेवी के पति चुन्नीलाल राजकीय कर्मचारी होते हुए भी ग्राम पंचायत, रेवदर ने नियमों की अवहेलना करते हुए अप्रार्थी मनुदेवी के पक्ष में निःशुल्क भूखण्ड़ आवंटन का पट्टा जारी किया है। ग्राम पंचायत, रेवदर द्वारा अप्रार्थी मनुंदेवी को पट्टा संख्या 173 में काट छांट कर बिना किसी निश्चित चतुदर्शी के क्षेत्रफल 1350 वर्गफीट का जारी किया है जो प्रथम दृष्ट्या देखने में ही गलत लगता है। यह कि ग्राम पंचायत, रेवदर द्वारा अप्रार्थी मनुदेवी को पट्टा संख्या 173 दिनांक 27.3.1997 को जारी किया था उस समय अप्रार्थी मनुदेवी का पति जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, रेवदर में नौकरी कर रहा था, इस प्रकार चुन्नीलाल की पत्नी के नाम पट्टा जारी किया गया है जो एक ही परिवार के होकर परिवार में शामिल रहते है। साथ ही, निःशुल्क आवासीय भूखण्ड का आवंटन नियमानुसार अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति करीगरों, लघु व सीमान्त कृषकों जिनके पास आवासीय भूमि उपलब्ध नहीं होने पर उपलब्ध आबादी भूमि में भूखण्ड निःशुल्क उपलब्ध कराया जाता है, जबकि उक्त पट्टे में पट्टाधारी के पति चुन्नीलाल घांची विद्युत विभाग में सीसीए के पद पर कार्यरत होकर सरकारी कर्मचारी के रूप में अपनी सेवा दे रहा था। पट्टा संख्या 173 वाले भूखण्ड़ पर अप्रार्थी मनुदेवी का कभी कब्जा या निवास नहीं रहा है और अप्रार्थी मनुदेवी ने ग्राम पंचायत, रेवदर की बेशकिमती भूमि को हड़पने की बदनियती से गलत तथ्य बताते हुए पट्टा संख्या 173 प्राप्त किया है। अप्रार्थी मनुदेवी को गलत जारी पट्टा संख्या 173 की जानकारी प्रार्थी को होने पर प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र संभागीय आयुक्त महोदय, जोधपुर को दिनांक 03.12.2020 को प्रेषित कर एक प्रति जिला कलेक्टर महोदय, सिरोही को भी प्रेषित की थी। उक्त प्रार्थना पत्र पर जांच करने हेतु विकास अधिकारी पंचायत समिति, रेवदर को लिखा, जिस पर विकास अधिकारी ने अतिरिक्त विकास अधिकारी, पंचायत समिति, रेवदर को विवादित पट्टा संख्या 173 की जांच हेतु जांच अधिकारी नियुक्त किया था। अतिरिक्त विकास अधिकारी द्वारा उक्त पट्टे के संबंध में सम्पूर्ण जांच करने के बाद रिपोर्ट में यह निष्कर्ष दिया कि रेकर्ड व

.....पेज तीन पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2024.01.30 17:09:56 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

अतिरिक्त जिला कलक्टर कार्यालय * सिरोही *
सत्यमेव जयते

मौका जांच के अनुसार चुन्नीलाल घांची की पत्नी श्रीमती मनूदेवी को नसबंदी में जारी पट्टा सरकारी कर्मचारी होते हुए अपनी पत्नी के नाम प्राप्त किया है, जो नियम विरूद्ध है। अतः प्रार्थी मुकेश कुमार का निगरानी आवेदन स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी मनुदेवी के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 173 दिनांक 27.3.1997 को निरस्त किया जावे। बहस के दौरान श्री नटवर लाल, सहायक विकास अधिकारी, कलेक्टर कार्यालय, सिरोही ने प्रार्थी विकास अधिकारी, पंचायत समिति, रेवदर के निगरानी आवेदन में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि ग्राम पंचायत, रेवदर द्वारा अप्रार्थी मनुदेवी के पक्ष में निःशुल्क पट्टा जारी कर. नियमों की अवहेलना की गई है। ग्राम पंचायत, रेवदर द्वारा अप्रार्थी मनुदेवी के पक्ष में केवल मात्र ग्राम सभा में प्रस्ताव पारित कर निःशुल्क विकय विलेख 1350 वर्गफिट का जारी किया है, जबकि अप्रार्थी मनुदेवी के पति श्री चुन्नीलाल पुत्र. कानाराम घांची जो कि सहायक अभियन्ता (पवस) जो.वि.वि. नि. लिमिटेड रेवदर के कार्यालय में दिनांक 01.04.1984 से 31.12.2012 तक एस.बी.ए. तृतीय के पद पर सेवा में थे, जो दिनांक 31.12.2022 को सेवानिवृत हुये है। यह कि पंचायती राज नियमों के अर्न्तगत निःशुल्क आवासीय भूखण्ड का आवंटन अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, कारीगरों, लघु व सीमान्त कृषकों जिनके पास आवासीय भूमि उपलब्ध नहीं है को ही ग्राम पंचायत में उपलब्ध आबादी भूमि में से निःशुल्क भूखण्ड दिये जाने का प्रावधान है। जबकि अप्रार्थी मनुदेवी के जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, रेवदर के कार्यालय में नौकरी कर रहे थे। ग्राम पंचायत, रेवदर ने अप्रार्थी मनुदेवी को निःशुल्क पट्टा जारी कर ग्राम पंचायत, रेवदर को राजस्व का नुकसान पॅहुचाया है। अतः प्रार्थी विकास अधिकारी, पंचायत समिति, रेवदर का निगरानी आवेदन स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी मनुदेवी के पक्ष में जारी पट्टे को निरस्त किया जावे। जबकि अप्रार्थी मनुदेवी के विद्वान अधिवक्ता श्री मुन्नवर हुसैन ने अप्रार्थी मनुदेवी के जवाब में अंकित कथनों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए बहस के दौरान यह व्यक्त किया कि प्रार्थी मुकेश कुमार व विकास अधिकारी, पंचायत समिति, रेवदर द्वारा इस न्यायांलय में अप्रार्थीगण के विरूद्ध अप्रार्थी मनुदेवी पत्नी चुन्नीलाल को जारी पट्टा संख्या 173 दिनांक 27.3.1997 को निरस्त कराने हेतु अलग अलग निगरानी आवेदन प्रस्तुत किये है, उससे पूर्व अप्रार्थीगण के विरूद्ध उपरोक्त पट्टा संख्या 173 दिनांक 27.3.1997 के व अन्य पट्टो के संबंध में एक शिकायत, सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर को प्रेषित कर उक्त पट्टा संख्या 173 व अन्य पट्टो को जारी करने के संबंध में तत्कालीन सरपंच श्री आनन्द जोशी पर अनियमितता का आरोप लगाते हुए उक्त पट्टे को निरस्त करने की प्रार्थना की गई थी। संभागीय आयुक्त, जोधपुर द्वारा उक्त शिकायत की विस्तृत जांच करवाकर शिकायत को झूठा पाते हुए अपने आदेश क्रमांकःपंजां/सिरोही/विविध/लो.आ.स./ 2015/1162—1167 दिनांक 26.09.2018 के द्वारा शिकायत को रद्द करते हुए इन पट्टो को सही मानते हुए शिकायत को संचित कर दिया था, जिसकी सूचना प्रार्थी विकास अधिकारी रेवदर को भी प्रेषित की गई है। उपरोक्त तथ्य की जानकारी होने के बावजूद भी प्रार्थी विकास अधिकारी, पंचायत समिति, रेवदर द्वारा अप्रार्थीगण के विरूद्ध निगरानी आवेदन दर्ज करवाया गया है, जो काबिले खारिज है तथा उच्च अधिकारी के आदेश की अवहेलना की श्रेणी में आता है। यह कि अप्रार्थी मनुदेवी के पास ग्राम रेवदर या अन्य किसी जगह में कोई भी आवासीय भूखण्ड स्वयं का या उसके पति के नाम का नहीं था तथा उसे उक्त भूखण्ड नियमानुसार उचित प्रक्रिया के तहत आवंटन कर पट्टा जारी किया गया है। अप्रार्थी मनुदेवी के पति को इन निग[illegible] में [illegible]चारी बताया गया है, जबकि विद्युत निगम एक प्राईवेट लिमिटेड कम्पनी [illegible] अप्रार्थी मनुदेवी का पति कार्यरत रहा है, जिसके निःशुल्क प[illegible] बाधा नहीं है। ग्राम पंचायत, रेवदर ने विधिक प्र[illegible] जांच अप्रार्थी मनुदेवी के पक्ष में

.....पेज चार पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2024.01.30 17:09:56 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर * सिरोही *
सत्यमेव जयते

नियमानुसार पट्टा जारी किया गया है, जिससे सरकार को या पंचायत को कोई आर्थिक हानि नहीं हुई है। अप्रार्थी मनुदेवी के अधिवक्ता ने बहस के दौरान यह भी व्यक्त किया कि राज्य सरकार की परिवार नियोजन योजना अर्न्तगत अप्रार्थीया द्वारा नसबन्दी ऑपरेशन कराने पर ग्राम पंचायत, रेवदर द्वारा विधि सम्मत कार्यवाही करते हुए प्रस्ताव पारित कर अप्रार्थी मनुदेवी को निःशुल्क भूखण्ड़ का आवंटन कर पट्टा जारी किया, जब निःशुल्क भूखण्ड़ आवंटन का पट्टा जारी किया था उस समय मौके पर पुराना आवासीय मकान बना हुआ था, जो जर्जर होने से जीर्णाद्धार करवाया गया है। उक्त योजना अर्न्तगत नसबन्दी कराने वाले व्यक्ति के परिवार के आवास हेतु निःशुल्क भूखण्ड़ का आवंटन किया जाता था। अप्रार्थी मनुदेवी अपने परिवार के साथ गत कई वर्षो से मौके पर निवास करती आ रही है। अप्रार्थी मनुदेवी के अधिवक्ता ने बहस के दौरान विधिक दृष्टान्त DNJ (Raj.) 1999 Page 437, DNJ (Raj.) 1999 Page 781, RLW 2002(4) Page 2284 में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह भी व्यक्त किया कि विधि में ऐसी निगरानी प्रस्तुत करने की कोई समय सीमा का उल्लेख नहीं है, परन्तु यह विधि का सुस्थापित सिद्धान्त है कि जहां संबंधित अधिनियम व नियमों में निगरानी प्रस्तुत करने हेतु समयावधि निर्धारित नही है, वहां युक्तियुक्त समय सीमा लागु होगी, जो एक वर्ष तक मानी गई है। यह कि पट्टा जारी हुये करीब 26 वर्ष से ज्यादा समय हो गया है तथा मौके पर अप्रार्थी मनुदेवी का आवासीय मकान बना हुआ है तथा इतने वर्षो बाद प्रश्नगत पट्टे से संबंधित भूमि व उस पर बने मकान के संबंध में अप्रार्थी मनुदेवी के अधिकारों की संरचना को अवरुद्ध करने में समय हो गया है। यदि मान लिया जाये कि अप्रार्थी मनुदेवी को तत्सयम ग्राम पंचायत, रेवदर द्वारा निःशुल्क पट्टा जारी नही किया हुआ होता और तो भी राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(2) के तहत अप्रार्थी मनुदेवी अपने वर्ष 2003 से पुराने कब्जे व मकान के संबंध में ग्राम पंचायत, रेवदर से निःशुल्क भूखण्ड़ प्राप्त करने की पात्र होती। इसके अलावा भी, राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(1) के तहत भी प्रश्नगत भूखण्ड़ पर बने अपने पुराने आवासीय मकान का नियमन करवाने की अधिकारी है। अतः प्रार्थी मुकेश कुमार व प्रार्थी विकास अधिकारी, पंचायत समिति, रेवदर द्वारा प्रस्तुत दोनों निगरानी आवेदनों को खारिज किये जावे।

(5) दोनों प्रकरणों में सुनी गई बहस पर मनन किया एवं न्यायलय पत्रावलियों तथा पत्रावलियों पर उपलब्ध दस्तावेजों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि ग्राम पंचायत, रेवदर द्वारा अप्रार्थी मनुदेवी पत्नी चुन्नीलाल जी, जाति– घांची, निवासी– रेवदर के पक्ष में क्षेत्रफल 1350 वर्गफीट भूखण्ड़ का निःशुल्क आवंटन कर निःशुल्क भूखण्ड़ आवंटन का पट्टा संख्या 173 दिनांक 27.3.1997 को जारी किया गया है। संबंधित नियमों के अर्न्तगत अनुसूचित जाति, जनजाति जातियों, पिछडी जाति के सदस्यों, ग्रामीण शिल्पियों और ऐसे भूमिहीन श्रमिकों, जिनके पास गृह स्थल/गृह नही है को ग्रामीण आबादी में 150 वर्गगज आबादी भूमि का निःशुल्क आवंटन ग्राम पंचायत द्वारा जा सकता था।

इस संबंध में प्रार्थी मुकेश कुमार व विकास अधिकारी, पंचायत समिति, रेवदर ने निगरानी आवेदनों में मुख्यतः यह कथन किया है कि ''अप्रार्थी मनुदेवी के पति चुन्नीलाल पुत्र कानाजी घांची जो कि दिनांक 01.4.1984 से 31.12.2012 तक जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, रेवदर के कार्यालय में एस.बी.ए. के पद पर कार्यरत रहे है एवं दिनांक 31.12.2012 को सेवानिवृत हुये है।'' इन निगरानी आवेदनों में यह भी कथन किया गया है कि निःशुल्क [illegible] भूखण्ड़ का आवंटन नियमानुसार ''अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, काश्तकारों, लघु व सीमान्त कृषकों जिनके पास आवासीय भूमि उपलब्ध नहीं होने पर ग्राम पंचायत द्वारा निःशुल्क भूखण्ड़ आवंटन करने का प्रावधान है, जबकि अप्रार्थी मनुदेवी के पति श्री चुन्नीलाल तत्समय विद्युत

....पेज पांच पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2024.01.30 17:09:56 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

कार्यालय अतिरिक्त जिला कलक्टर *सिरोही*
सत्यमेव जयते

विभाग में नौकरी कर रहा था, जिससे अप्रार्थी मनुदेवी को निःशुल्क भूखण्ड आवंटित नही किया जा सकता था।" प्रकरण में प्रार्थी मुकेश कुमार व प्रार्थी विकास अधिकारी, पंचायत समिति, रेवदर ने ऐसी कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही की है जिससे यह साबित हो सके कि अप्रार्थी मनुदेवी को निःशुल्क भूखण्ड आवंटन का पट्टा जारी करने से पूर्व अप्रार्थी मनुदेवी या उसके पति श्री चुन्नीलाल के पास प्रश्नगत निःशुल्क पट्टेशुदा भूखण्ड के अलावा अन्य कोई आवासीय भूखण्ड या आवास उपलब्ध हो। इससे यह प्रतीत होता है कि अप्रार्थी मनुदेवी जो कि अन्य पिछडा वर्ग की सदस्य है एवं उसके या उसके पति के पास निःशुल्क भूखण्ड आवंटन के समय अन्य कोई आवासीय भूखण्ड या आवास नही था। प्रकरण में यह तथ्य भी स्पष्ट है कि अप्रार्थी मनुदेवी स्वयं राजकीय कर्मचारी अथवा निगम की कर्मचारी नही थी।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से यह पाया गया कि लोक कल्याण शिविर दिनांक 21.1.1997 में आयोजित ग्रामसभा में ग्राम पंचायत, रेवदर द्वारा प्रस्ताव संख्या 9 पारित करके कुल 198 व्यक्तियों को पात्रता की जांच के बाद निःशुल्क भूखण्ड आवंटन की स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसमें क्रम संख्या 37 पर अप्रार्थी मनुदेवी पत्नी चुन्नीलाल घांची का नाम अंकित है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत, रेवदर के तत्कालीन सरपंच श्री आनन्द जोशी द्वारा दिनांक 27.3.1997 व 28.3.1997 व अन्य जारी पट्टों में अनियमितता बरतने के संबंध में शिकायत संबंधी परिवाद की जांच हेतु अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, सिरोही के आदेश क्रमांकःपंचायत/जांच/2017/373 दिनांक 23.10.2017 के द्वारा श्री जितेन्द्र सिंह, पंचायत प्रसार अधिकारी, पंचायत समिति, सिरोहीं, श्री नटवरलाल, पंचायत प्रसार अधिकारी, कलेक्टर कार्यालय, सिरोही व श्री हमीरदान, पंचायत प्रसार अधिकारी, पंचायत समिति, रेवदर की कमेटी गठित कर जांच करवाई गई। उक्त गठित कमेटी की तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट दिनांक 27.11.2017 पर अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, सिरोही द्वारा सहमति व्यक्ति की गई। उक्त गठित कमेटी की जांच रिपोर्ट को मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, सिरोही के पत्र क्रमांकःपंचायत/2017/524 दिनांक 07.12.2017 के द्वारा संभागीय आयुक्त, जोधपुर को प्रेषित की गई। मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, सिरोही द्वारा प्रेषित तथ्यात्मक जांच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित तथ्यों के आधार पर संभागीय आयुक्त, जोधपुर के आदेश क्रमांकःपंजा/सिरोही/विविध/लो.आ.स./2015/1162–1167 दिनांक 26.9.2018 के द्वारा ग्राम पंचायत, रेवदर के पूर्व सरपंच श्री आनन्द जोशी के विरुद्ध परिवाद/शिकायत में अंकित आरोप प्रमाणित नही होने से प्रकरण को समाप्त किया गया था। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत, रेवदर द्वारा अप्रार्थी मनुदेवी को जारी पट्टे के संबंध में पूर्व में जांच हो गई थी एवं उस जांच रिपोर्ट के आधार पर शिकायत परिवाद में अंकित आरोप प्रमाणित नही होने से प्रकरण को समाप्त कर दिया गया था।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि श्री शंकरलाल, अतिरिक्त विकास अधिकारी, पंचायत समिति, रेवदर के जांच प्रतिवेदन दिनांक 13.10.2021 के बिन्दु संख्या 6 में यह स्पष्ट रुप से अंकित किया है कि जनसंख्या नियंत्रण हेतु नसबन्दी ऑपरेशन कराने पर निःशुल्क भूखण्ड उपलब्ध करवाने के आदेश होने के कारण उक्त भूखण्ड जहां निर्मित आवास था का निःशुल्क पट्टा जारी करना पाया गया है, जो कि वर्तमान में जीर्णोद्धार करवाया जा रहा है। इससे यह स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत, [illegible] पत्नी श्री चुन्नीलाल घांची, निवासी– रेवदर को राष्ट्रीय परिवार नि[illegible]र्यक्रम के तहत नसबन्दी ऑपरेशन करवाने पर प्रोत्साहन स्वरुप [illegible] जारी किया गया है एवं जो निःशुल्क भूखण्ड अप्रार्थी म[illegible]या गया था उस भूखण्ड पर आवास

.....पेज छः पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2024.01.30 17:09:56 IST
Reason: SelfAttested

अति. जिला कलक्टर
सिरोही (राज.)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर *सिरोही*
सत्यमेव जयते

निर्मित था। यहां यह उल्लेखनीय है कि राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157 के तहत पुराने आवासीय गृहों के नियमन का प्रावधान है जिसके अनुसार, जहां व्यक्तियों के कब्जे में आबादी भूमि में पुराने गृह हो और वे पंचायत से कोई पट्टा जारी कराना चाहते है तो नियम 157(1)(ख) के अन्तर्गत दिनांक 31 दिसम्बर, 2016 के ठीक पूर्ववर्ती सत्तर वर्षो के दौरान संनिर्मित पुराने गृहों का नियमन कर पट्टा जारी किया जा सकता है। राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(2) के तहत ऐसे व्यक्ति जिनके पास कोई भूखण्ड या मकान नही है और उन्होनें वर्ष 2003 तक कोई झौपडी या कच्चा मकान आबादी भूमि पर निर्माण कर लिया है उन्हें 300 वर्गगज तक का भूखण्ड निःशुल्क नियमति कर दिया जायेगा और इसका पट्टा उस परिवार की महिला मुखिया के नाम से जारी किया जायेगा। चूंकि अप्रार्थी मनुदेवी पत्नि श्री चुन्नीलाल घांची, निवासी— रेवदर द्वारा राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम में नसबन्दी ऑपरेशन करवाने से अप्रार्थी मनुदेवी को प्रोत्साहन स्वरुप निःशुल्क भूखण्ड़ आवंटन का पट्टा जारी किया गया है तथा जिस निःशुल्क भूखण्ड़ का आवंटन किया गया है उस पर आवास निर्मित था, जिससे अप्रार्थी मनुदेवी उसके आवासीय मकान का राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157(1) के तहत पुराने आवास का नियमन कराने एवं नियम 157(2) के तहत भी निःशुल्क भूखण्ड़ प्राप्त करने की पात्र व्यक्ति है। यह भी उल्लेखनीय है कि प्रार्थी ने प्रश्नगत पट्टा संख्या 173 दिनांक 27.3.1997 को निरस्त कराने हेतु पट्टा जारी होने के 24 वर्ष पश्चात् यह दोनों निगरानी आवेदन इस न्यायालय में प्रस्तुत किये है, जो अत्यधिक विलम्ब से प्रस्तुत किये गये है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा विधिक दृष्टान्त DNJ (Raj.) 1999 Page 437, DNJ (Raj.) 1999 Page 781, RLW 2002(4) Page 2284 में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि कि पुनरीक्षण की शक्तियों का प्रयोग युक्तियुक्त समय में ही किया जाना चाहिये। इस प्रकार, प्रश्नगत पट्टेशुदा भूमि पर पट्टाधारक के अधिकारों की सरंचना को अवरुद्ध करने में पर्याप्त विलम्ब हो चुका है, जिससे अब इतने वर्षो बाद अप्रार्थी मनुदेवी के पक्ष में निःशुल्क भूखण्ड़ आवंटन के पट्टे को निरस्त किया जाना किसी भी स्थिति में न्यायसंगत नही है। ऐसी स्थिति में, हस्तगन निगरानी आवेदनों को खारिज किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में हस्तगत दोनों निगरानी आवेदन प्रार्थी मुकेश कुमार पुत्र तारांचद जी अग्रवाल, निवासी— रेवदर एवं प्रार्थी विकास अधिकारी, पंचायत समिति, रेवदर अर्न्तगत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 विरुद्ध अप्रार्थीगण सारहीन होने से खारिज किये जाते है। इसी मुताबिक दोनों पत्रावलियां निर्णित होकर संख्या से कम होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 27 अक्टूम्बर, 2023 को सर—ए—ईजलास सुनाया गया।

(डॉ. भास्कर बिश्नोई)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
सिरोही

अतिरिक्त जिला कलक्टर न्यायालय *सिरोही*
सत्यमेव जयते

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2024.01.30 17:09:56 IST
Reason: SelfAttested